न्यायालयः अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर, जिला पाली।
पीठासीन अधिकारीः मोक्षदा नांदड़, (आर.जे.एस.)
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या (सी.आई.एस.नं.): 1560/2025
सीएनआर नंबर - RJPL150030482025

निर्णय दिनांक : 16-07-2026
सीआईएस नंबर : 1560/2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 183/2025, पुलिस थाना, सुमेरपुर सदर।
अन्तर्गत धारा : 309(4) भारतीय न्याय संहिता,

अभियोगी :

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी।

बनाम

अभियुक्त - हुसाराम

परिवादिया	जीजीबाई
परिवादी अधिवक्ता	श्री सरफराज खान, श्री दीपेश राव,
प्रस्तुतकर्ता	जीजीबाई
अभियुक्त का नाम व पता	हुसाराम पुत्र धनाजी, निवासी साजाफली लोटाना, पुलिस थाना सरूपगंज, जिला सिरोही।
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री देवी सिंह राठौड़,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	23-09-2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08-10-2025
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	17-12-2025
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	17-12-2025
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	17-12-2025
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	16-07-2026
निर्णय की तिथि	16-07-2026
दण्ड दिये जाने की तिथि(यदि हो तो)	16-07-2026

::अभियुक्तगण का विवरण::

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	न्यायालय द्वारा जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दंड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा -428 द.प.स के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01.	हुसाराम	17-011-2025	-	धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता	दोषसिद्ध	धारा309 (4) भारतीय न्याय संहिता में दोषसिद्ध	दिनांक 17-11-2025 से लगातार अभिरक्षा में

::अभियोजन/बचाव/ न्यायालय गवाह सूची::

क. अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	अभियोजन साक्षी का क्रम	बयान दिनांक	गवाह का नाम	पुनः बयान दिनांक	साक्ष्य की प्रकृति
1.	पीडब्ल्यू 1	17-01-2026	रामरतन		मौतबीर मुलजिम
2.	पीडब्ल्यू 2	17-01-2026	हनुमानराम		मौतबीर मुलजिम गिरफ्तारी
3.	पीडब्ल्यू 3	19-01-2026	जीजीबाई		शिकायतकर्ता
4.	पीडब्ल्यू 4	19-01-2026	धर्माराम		मौतबीर नक्शा-मौका व जब्ती माल मशुरूखा
5.	पीडब्ल्यू 5	16-02-2026	मीठाराम		मौतबीर नक्शा-मौका
6.	पीडब्ल्यू 6	16-02-2026	सोमाराम		गवाह
7.	पीडब्ल्यू 7	16-02-2026	पपली		गवाह
8.	पीडब्ल्यू 8	27-02-2026	रामसिंह		अनुसंधान अधिकारी व दर्जकर्ता
9.	पीडब्ल्यू 9	13-03-2026	दिलीप		मौतबीर धारा 27 बीएसए एवं जब्ती माल मशुरूखा
10.	पीडब्ल्यू 10	15-04-2026	मोहनलाल		मालखाना प्रभारी पुलिस थाना पिंडवाड़ा

ख. बचाव गवाह

साक्षी का क्रम	गवाह का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

:अभियोजन/बचाव/ न्यायालय प्रदर्श सूची::

क. अभियोजन

क्रम सं.	प्रदर्श मार्क	दस्तावेजो की प्रकृति
1.	प्रदर्श पी 01	गिरफ्तारी फर्द हुसाराम
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द जब्ती मोटरसाइकिल होण्डा नंबर आरजे 38 एस.ए. 1172
3.	प्रदर्श पी 03	फर्द जब्ती आभूषण व मोबाइल
4.	प्रदर्श पी 04	फर्द बरामदगी स्थल
5.	प्रदर्श पी 05	नक्शा नजरी बरामदगी मोटरसाइकिल आरजे 38 एस.ए. 1172
6.	प्रदर्श पी 06	पुलिस अधीक्षक पाली को प्रथम सूचना रिपोर्ट
7.	प्रदर्श पी 07	फर्द नक्शा-मौका
8.	प्रदर्श पी 08	फर्द इत्तला धारा 23(2)
9.	प्रदर्श पी 09	फर्द इत्तला धारा 23 (2)
10	प्रदर्श पी 10	फर्द इत्तला धारा 23 (2)
11.	प्रदर्श पी 11	चुराई हुई संपत्ति का मालखाना रजिस्टर में इंद्राज
12.	प्रदर्श पी 11	फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल

ख. बचाव

क्रम सं.	प्रदर्श मार्क	दस्तावेजो की प्रकृति
-	-	-

ग - भौतिक वस्तुएं

क्रम सं.	प्रदर्श मार्क	दस्तावेजो की प्रकृति
-	-	-

निर्णय **दिनांक - 16.07.2026**

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादिया जीजीबाई द्वारा दिनांक 08-10-2025 को पुलिस अधीक्षक पाली को जरिए डाक द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय का पेश करने पर हुआ कि हर रोज की भांति दिनांक 23-09-2025 को वह और पेपी बाई पत्नी मीठाराम, निवासी भीमाणा दोनों दैनिक मजदूरी के लिए चामुण्डेरी गई थी, वहां काम नहीं मिलने पर वापस घर आ रही थी, तब बाइक पर एक अनजान व्यक्ति आया और उन दोनों को काम का बोला कि सुमेरपुर में रसोई का काम है 500-500 रुपये मजदूरी देगा और शाम को वापस बाइक से यहां छोड़ देगा, तो वे दोनों उनके साथ उनकी बाइक पर बैठकर गई, सुमेरपुर पहुंचने के बाद उसकी साथी बिना जेवर पहनी पेपी बाई पत्नी मीठाराम को सुमेरपुर को दिल चौराहे पर उतारा और जीजीबाई के जेवर पहने होने के कारण उसे बोला की आप उसके साथ चलो। एक मिर्ची और ग्वारफली का थेला पड़ा है, जो लाना है फिर उसे बाइक पर बैठाकर ले गया, आगे तख्तगढ़ रोड़ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाया और आगे सुनसान जगह की तरफ ले जाने लगा, उसे शक होने पर उसने पूछा तो बोला कि कुएं पर है तो उसने बाइक रोकने का बोला, तब उसने बाइक नहीं रोकी तो वह बाइक से कूदने लगी तो उसने बाइक रोकी और उससे हाथापाई की और उसके गले से चांदी की चेन, हाथ से चांदी कांकण, पैर से चांदी के कड़े व पायल, कमर से हैर (कंदोरा) तथा एंड्राइड मोबाइल लेकर भाग गया, जो मोबाइल टेक्नो कंपनी का है, जिसके मोबाइल नंबर 7425826221 है....इत्यादि कथन करते हुए मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया गया, जिस पर पुलिस थाना सुमेरपुर सदर द्वारा दिनांक 08-10-2025 को प्र.सू.रि.सं. 183/2025 दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्त हुसाराम के विरूद्ध धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

02. अभियुक्त हुसाराम के विरूद्ध धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त हुसाराम को अपराध अतंर्गत धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

03. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त

वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजो को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

04. अभियुक्त हुसाराम के कथन अपराध अन्तर्गत धारा 351 बी.एन.एस.एस. के तहत लेखबद्व किए गए, जिसमें अभियुक्त हुसाराम ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाए जाने के कथन किए तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

05. बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्कपूर्ण निवेदन किया कि अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता को प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहा है, अतः अभियुक्त को धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषसिद्ध कर दंडित किया जावे। उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त को उक्त प्रकरण में पूर्ण रूप से झूठा फंसाया गया है। हस्तगत प्रकरण में परीक्षित हुए गवाहन घटना की ताईद नहीं करते है। अंत में अभियुक्त को उन पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23-09-2025 को दिन के किसी समय सरहद सुमेरपुर में तख्तगढ़ रोड़ पर पेट्रोल पंप के थोड़ा आगे किसी अज्ञात स्थान पर परिवादिया जीजीबाई के साथ हाथापाई कर उसे तत्काल उपहति का भय कार्य कारित कर उसके पहने हुए आभूषण तथा उसका टेक्नो कंपनी के मोबाइल फोन को ले जाकर लूट का अपराध कारित किया ?

2. यदि हाँ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या होगा?.

07. उक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य निम्न प्रकार से है -

08. पत्रावली का समग्र अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण किया जाए तो यह दर्शित है कि अभियोजन की ओर से कुल 10 गवाहान न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं, जिसमें से प्रकरण की महत्वपूर्ण गवाह पी.ड. 03 परिवादिया जीजीबाई ने अपनी साक्ष्य में कथन किए कि साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के करीब 04 माह पूर्व वह और पेपी दैनिक मजदूरी के लिए चामुण्डेरी गई थी, वहां से काम निपटाकर वापस आ रही थी, तब एक व्यक्ति आया

और बोला कि 500/- रुपये मजदूरी देगा व शाम को छोड़ देगा, उन 500/- रुपये के बदले उन्हें कार्य करना होगा, जिस पर वह व पेपी दोनों उस व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठ गई। तत्पश्चात बिना गहने पहनी पेपी को उस व्यक्ति ने नीचे उतारा और गवाह जीजी को बोला कि वह उसके साथ चले। गवाह ने कथन किए कि उसके गहने पहने हुए थे, वह उसे बाइक पर बिठाकर सुनसान जगह की तरफ ले गया, फिर उसने उस व्यक्ति को बाइक रोकने के लिए कहा, परंतु उसने बाइक नहीं रोकी और उक्त गवाह के साथ हाथापाई कर गले से चांदी की चैन, हाथ से चांदी का कांकण व पैर से चांदी के कड़े व कंदोरा, पायल एंड्रोयड मोबाइल लेकर भाग गया, उसने रिपोर्ट पेश की, जो प्रदर्श पी 06 है, नक्शा-मौका प्रदर्श पी 07 है। गवाह ने कथन किए कि जो व्यक्ति उसे लेकर गया था, उसका नाम हुसाराम था, जो उसे बाद में पता चला था। दौराने साक्ष्य वकील मुलजिम द्वारा माल की शिनाख्त बाबत किसी प्रकार से एतराज नहीं किया गया। दौराने अधिवक्ता अभियुक्त जिरह गवाह ने कथन किए कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 किसने लिखी, उसे ध्यान नहीं, परंतु रिपोर्ट उसने व पेपी ने लिखवाई थी। गवाह ने कथन किए कि वह हुसाराम को पहले से नहीं जानती थी। हुसाराम का नाम उसे पुलिस वालों ने बताया था, जब उसको पकड़कर लाए थे, तब उसको थाने बुलाया था तथा हुसाराम को बताया था। उक्त गवाह की साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि गवाह स्वयं के द्वारा हुई घटना की ताईद करती है कि उसे एक व्यक्ति बाइक पर बिठाकर काम कराने के बहाने व काम की एवज में पगार देने के बहाने उसे सुनसान जगह लेकर गया, जहां पर उसके द्वारा बाइक रोकने का कहने पर उसके साथ जबरदस्ती कर उसके पहने हुए गहने एवं मोबाइल लेकर भाग गया। अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किए कि जो व्यक्ति उसको बाइक पर बिठाकर लेकर गया था, उसे उसका नाम बाद में हुसाराम होना ज्ञात हुआ, जिसका तात्पर्य है कि गवाह द्वारा मौके पर हुसाराम की पहचान नहीं की गई थी तथा उसे उस व्यक्ति का नाम हुसाराम होना पुलिसवालों से ज्ञात हुआ है। पुलिसवालों द्वारा हुसाराम नाम ऐसे ही गवाह को बता दिया गया, जो गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष लिया गया। गवाह द्वारा मौके पर हुसाराम की पहचान नहीं करने से यह नहीं कहा जा सकता कि जो व्यक्ति उक्त गवाह को बाइक पर बिठाकर लेकर गया, वह व्यक्ति अभियुक्त ही हो, परंतु अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए हैं कि हुसाराम का नाम उसे यद्यपि पुलिसवालों ने बताया था, परंतु वह तब बताया,

जब उसको थाने पकड़कर लाए थे और जिस समय थाने पकड़कर लाए थे, उस समय परिवादिया को भी थाने बुलाया गया था। परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य अभिकथित नहीं किए गए कि जिस दिन हुसाराम को पकड़कर लाए और परिवादिया थाने गई, उस दिन जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था, वह व्यक्ति, वह ना हो जो उसे बाइक पर बिठाकर ले गया था। उक्त गवाह की साक्ष्य से यह प्रकट है कि जिस समय थाने में हुसाराम को पकड़कर लाए थे, उस समय परिवादिया उपस्थित थी तथा परिवादिया द्वारा उस व्यक्ति को पहचाना गया था। परिवादिया द्वारा पुलिस थाने में यह अभिकथित किया गया हो कि वह व्यक्ति वह नहीं है, जो उसे बाइक पर बिठाकर लेकर गया, ऐसा कोई तथ्य उक्त गवाह की साक्ष्य से दर्शित नहीं है। उक्त गवाह का थाने में जाना, जिस दिन हुसाराम को पकड़कर लाया गया था तथा पुलिसवालों द्वारा उसी व्यक्ति का नाम उसी दिन थाने में परिवादिया को हुसाराम बताना एवं परिवादिया द्वारा उस व्यक्ति की पहचान बाबत उसी दिन किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने से यह तथ्य प्रकट है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, वहीं व्यक्ति परिवादिया को बाइक पर लेकर गया था जो कि अभियुक्त है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा माल की शिनाख्त बाबत कोई एतराज नहीं किया गया है। उक्त जब्तशुदा गहने परिवादिया को सुपुर्द किए गए हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा ऐसे भी कोई तर्क नहीं रखे कि प्रकरण में जब्तशुदा माल परिवादिया का नहीं होकर अभियुक्त का हो। अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि परिवादिया को यह ज्ञात नहीं है कि उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 में क्या लिखा है, उसने मात्र अपने हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 की पुष्टि होना नहीं कहा जा सकता, परंतु अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त गवाह की साक्ष्य से यह प्रकट है कि गवाह अंगुष्ठ निशानी करती है। तात्पर्यित गवाह अनपढ़ है, जिसका अभिकथन गवाह ने अपनी जिरह में भी किया है। ऐसे में यह तथ्य स्पष्ट है कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में असमर्थ रही है, जिस कारण स्वाभाविक तौर पर उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्य से लिखवाई जाकर उसने अपनी अंगुष्ठ निशानी स्वीकार की है। उक्त गवाह की साक्ष्य में इस तथ्य का कहीं खंडन नहीं है कि उसके साथ हुसाराम द्वारा लूट करने का अपराध कारित नहीं किया गया। यद्यपि रिपोर्ट उसके द्वारा नहीं लिखी गई है, परंतु गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ही पुष्टि की है, जिससे प्रदर्श पी 06 की पूर्णतया पुष्टि होती है। उक्त गवाह की साक्ष्य अभियोजन कहानी का संपूर्ण समर्थन

करती है कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ लूट कारित की गई थी।

09. प्रकरण की अन्य गवाह पी.ड. 07 पपली ने अपनी साक्ष्य में कथन किए कि वह व जीजी साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के करीब 04 वर्ष पूर्व रास्ते में खड़ी थी तथा मजदूरी के लिए इंतजार कर रही थी, तभी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर आया और उनसे कहा कि वह मजदूरी देगा, तब वे उसके साथ बैठ गई। मोटरसाइकिल पर रवाना हुए तब उस व्यक्ति ने उसे रास्ते में उतार दिया और जीजी को कहा कि वह उसके साथ चले, जीजी वापस नहीं आई तो उसने फोन किया और बाद में उसे पता पड़ा कि जीजी से उस व्यक्ति ने जीजी के गहने लूट लिए। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में यह कथन किए कि उसने लूट होते नहीं देखी थी। मोटरसाइकिल के नंबर क्या थे, उसे नहीं पता। मोटरसाइकिल पर कौन व्यक्ति थे, वह भी उसे नहीं पता, वह लोगों के कहने से नाम बता रही है, घटना कैसे हुई, वह नहीं बता सकती। उक्त गवाह की साक्ष्य के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि उक्त गवाह जीजी के साथ उपस्थित थी, परंतु उक्त गवाह द्वारा किसी प्रकार से घटना की ताईद नहीं की गई है। उक्त गवाह की साक्ष्य जीजी की साक्ष्य को संपुष्ट नहीं करते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है, परंतु अधिवक्ता अभियुक्त के उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि गवाह जीजी की साक्ष्य से यह दर्शित है कि पपली और जीजी दोनों साथ खड़ी थी, तत्पश्चात जीजी व पपली को एक व्यक्ति बाइक पर बिठाकर ले गया और रास्ते में पपली को उतार दिया था। चूंकि रास्ते में पपली को उतार दिया गया था तथा जीजी को वह व्यक्ति सुनसान जगह ले गया था, ऐसे में स्वाभाविक है कि पपली को उतारने के बाद जीजी के साथ क्या घटना कारित हुई, इस संबंध में पपली को जानकारी नहीं होगी, परंतु पपली द्वारा उसे मोटरसाइकिल से उतारने से पूर्व जो घटनाक्रम हुआ, वह घटनाक्रम जीजी की साक्ष्य से संपूर्णतया पुष्ट होता है। पपली का यह वर्णित करना कि एक व्यक्ति आया और उन दोनों को मजदूरी का कहकर बाइक पर बिठाकर ले गया, यह समस्त तथ्य जीजी की साक्ष्य से संपुष्ट होते हैं, जिसके पश्चात जीजी द्वारा प्रकरण में अखंडित साक्ष्य देना अभियोजन कहानी को पूर्णतया पुष्ट करती है।

10. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 06 सोमाराम की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह ने कथन किए हैं कि जीजी व पपली बस स्टेण्ड पर इंतजार कर रही थी, तब एक व्यक्ति आया और उन दोनों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेकर गया तथा बाद में उसने सुना कि हुसाराम द्वारा जीजी के

साथ लूट कारित की गई थी। उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में जीजी को उठाकर ले जाते नहीं देखे जाने के कथन किए। उक्त गवाह की साक्ष्य प्रकरण में खंडित साक्ष्य रही। गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में दी गई साक्ष्य का खंडन गवाह की जिरह में हुआ है। ऐसे में उक्त गवाह की साक्ष्य अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है।

11. प्रकरण में बरामदगी का गवाह पी.ड. 01 रामरतन उक्त गवाह ने प्रदर्श पी 02 फर्द जब्ती मोटरसाइकिल आरजे 38 एस.ए. 1172 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है तथा हुसाराम के कब्जे से बरामद किए गए माल की फर्द प्रदर्श पी 03 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। गवाह ने नक्शा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 04 व प्रदर्श पी 05 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए कि बरामद चांदी के आभूषण पर कोई विशेष प्रकार का चिह्न नहीं था, जिससे उनकी पहचान की जा सके तथा इस प्रकार के आभूषण बाजार में भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त बरामदगी खुला स्थान था, जहां किसी प्रकार के कोई आलामात नहीं थे। उक्त गवाह जो कि बरामदगी का साक्षी है, जिसने यह कथन किए हैं कि चांदी के आभूषण पर किसी प्रकार का चिह्न नहीं था तथा बरामदगी भी खुला स्थान था, जहां किसी प्रकार के आलामात नहीं थे। ऐसे में यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त माल हुसाराम के अनन्य कब्जे से बरामद हुआ है एवं उक्त माल वहीं माल है, जो परिवादिया द्वारा होना बताया है, परंतु अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि परिवादिया की साक्ष्य के दौराने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा माल की शिनाख्त बाबत अनापत्ति की गई है। परिवादिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा उसके जो गहने लूटना बताया है, वहीं सामान परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य में भी बताया है तथा उन्हीं वस्तुओं की बरामदगी होना प्रदर्श पी 03 से दर्शित है। यदि उक्त माल परिवादिया का नहीं होता तो इसके संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने परिवादिया की साक्ष्य शिनाख्त बाबत आपत्ति उठाई जाती, परंतु अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा माल की शिनाख्त बाबत एतराज नहीं करने से इस तथ्य की पुष्टि है कि जो माल प्रकरण में बरामद किया गया था, वह माल परिवादिया का ही है।

12. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 04 धर्माराम जो भी प्रदर्श पी 03 फर्द बरामदगी गहने का गवाह है, जिसने उक्त फर्द पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, परंतु उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किए कि प्रदर्श

पी 3 व प्रदर्श पी 04 पर पुलिस ने किस बात के हस्ताक्षर करवाए, उसे नहीं पता तथा ना ही पुलिस ने उसके समक्ष कोई बरामदगी की। उक्त गवाह के द्वारा प्रकरण में खंडित साक्ष्य दी गई है, जिससे गवाह की साक्ष्य अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है।

13. प्रकरण में परीक्षित गवाह पी.ड. 05 मीठाराम जो की मुख्य परीक्षा में प्रदर्श पी 05 नक्शा-मौका पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है, परंतु अपनी जिरह में कथन करता है कि पुलिस ने किस बात के हस्ताक्षर करवाए, उसे नहीं पता। उक्त गवाह की साक्ष्य भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करती है।

14. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 09 दिलीप जिसने मुलजिम हुसाराम द्वारा फर्द इत्तला प्रदर्श पी 08, प्रदर्श पी 09 व प्रदर्श पी 10 अनुसंधान अधिकारी को दिए जाने के कथन किए है। अभियुक्त ने फर्द बरामदगी स्थल मोटरसाइकिल प्रदर्श पी 5 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। गवाह ने अपनी जिरह में बरामदगी मीमो मौके पर तैयार किया जाना एवं समस्त दस्तावेज मौके पर तैयार किए जाने के एवं मौके पर ही हस्ताक्षर करवाए जाने के कथन किए हैं। अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि उक्त गवाह ने यह कथन किए हैं कि मोटरसाइकिल पुलिस थाना पिंडवाड़ा में कहां से बरामद की गई थी, इस बात का अंकन नहीं है। जब्त मोटरसाइकिल किस अवस्था में थी, उसका भी अंकन नहीं है। प्रदर्श पी 02 पर जो की फर्द जब्ती मोटरसाइकिल है, उस पर पुलिस थाना पिण्डवाड़ा के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। उक्त मोटरसाइकिल चूंकि ना तो मौके से बरामद हुई है ना ही अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रकरण में जब्तशुदा मोटरसाइकिल वहीं मोटरसाइकिल है, जिसका घटना में प्रयोग किया गया है, परंतु अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि प्रदर्श पी 02 पर यह अंकित है कि उक्त मोटरसाइकिल को पुलिस थाना पिण्डवाड़ा से जब्त किया गया था क्योंकि वह पुलिस थाना पिण्डवाड़ा में पूर्व से अन्य प्रकरण में जब्त थी। मात्र मोटरसाइकिल की बरामदगी हुसाराम के कब्जे से होने से हुसाराम के द्वारा कारित की गई घटना पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकरण में परीक्षित महत्वपूर्ण गवाह जीजी द्वारा घटना की पूर्णरूप से ताईद की गई है, जिस पर संदेह करने का कोई कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मोटरसाइकिल हुसाराम से बरामद होना नहीं होना उक्त तथ्य प्रकरण में मात्र एक औपचारिक प्रकृति का तथ्य है, जो

प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता है। गवाह दिलीप की साक्ष्य अनुसार मौके पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई थी। उक्त समस्त कार्यवाही दौराने अनुसंधान की गई, जो कि इस हद तक अभियोजन कहानी का समर्थन करती है कि जीजी के साथ हुई घटना का अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया गया तथा माल, मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई। चूंकि प्रकरण में अधिवक्ता अभियुक्त को माल की शिनाख्त बाबत एतराज नहीं रहा है एवं जीजी द्वारा घटना की संपूर्ण पुष्टि की गई है। ऐसे में प्रकरण में अभियोजन अपनी कहानी को पूर्णतया प्रमाणित करने में सफल रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क कि प्रकरण में मात्र जीजी द्वारा घटना की ताईद की गई है तथा कोई अन्य साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है, जो घटना की ताईद करता हो, जिससे स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य के अभाव में प्रकरण में संदेह उत्पन्न होता है तथा स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धी कायम नहीं की जा सकती, परंतु अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं जीजी की साक्ष्य से यह दर्शित है कि जीजी के साथ घटना सुनसान जगह पर कारित की गई थी। उक्त तथ्य से यह स्पष्ट है कि जीजी ही घटना की एकल मात्र साक्षी है तथा अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी घटना का नहीं रहा है। ऐसे में स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य हस्तगत प्रकरण में अपेक्षित भी नहीं रह जाती है। जीजी की एकल मात्र अखंडित साक्ष्य हुसाराम को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत (2003) 10 S.C.C. 414, State of M.P. Vs. Man singh में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि "the evidence of injured witnesses has greater evidentiary value and unless compelling reasons exist, their statements are not to be discarded lightly."

15. प्रकरण में गवाह पी.ड. 10 मोहनलाल जो की मालखाना इंचार्ज है, जिसके द्वारा बरामदशुदा मोटरसाइकिल को मालाखाना में जमा किया गया था। उक्त गवाह की साक्ष्य प्रकरण के निस्तारण हेतु औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य रह जाती है।

16. प्रकरण के अन्य गवाह पी.ड. 02 हनुमानराम जो कि हुसाराम की गिरफ्तारी का गवाह है, जिसने प्रदर्श पी 01 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त गवाह की साक्ष्य का खंडन किसी प्रकार से नहीं हुआ है। उक्त गवाह की साक्ष्य से प्रकट है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा हुसाराम को

गिरफ्तार कर थाने लाया गया था तथा जीजी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि जिस दिन हुसाराम को गिरफ्तार कर थाने लाया गया था, उस दिन जीजी को थाने में बुलाया था तथा हुसाराम को जीजी द्वारा पहचाना गया था।

17. प्रकरण में परीक्षित अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 08 रामसिंह ने अपने अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित माना। उक्त गवाह ने अपने द्वारा किए गए अनुसंधान को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करवाया है। उक्त गवाह की साक्ष्य का भी खंडन किसी प्रकार से नहीं हुआ है, जिससे की प्रकरण में अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न होता हो।

18. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह तथ्य तो युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 23-09-2025 को दिन के किसी समय सरहद सुमेरपुर में तख्तगढ़ रोड़ पर पेट्रोल पंप के थोड़ा आगे किसी अज्ञात स्थान पर परिवादिया जीजीबाई के साथ हाथापाई कर उसे तत्काल उपहति का भय कार्य कारित कर उसके पहने हुए आभूषण तथा उसका टेक्नो कंपनी के मोबाइल फोन को ले जाकर लूट का अपराध कारित किया।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त हुसाराम को अपराध अन्तर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-- आदेश --

19. अतः परिणामतः अभियुक्त हुसाराम पुत्र धनाजी, निवासी साजाफली लोटाना, पुलिस थाना सरूपगंज, जिला सिरोही को अपराध अन्तर्गत धारा 309 (4) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मोक्षदा नांदड़)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर, जिला पाली।

-सजा के प्रश्न पर-

20. सजा के प्रश्न पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है, वह वर्ष 2025 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अतः उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दंडित करने का निवेदन किया।

21. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता हैं कि प्रकरण में अभियुक्त वर्ष 2025 से अन्वीक्षारत है तथा अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य पत्रावली पर नहीं है, परंतु अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है। ऐसे मामलों में दण्ड का उद्देश्य केवल अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि समाज में एक स्पष्ट संदेश देना भी है कि कानून, समाज के प्रति लापरवाह महिला के साथ लूट जैसे गंभीर अपराध को सहन नहीं करता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य-परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-दण्डादेश-

22. परिणामतः अभियुक्त हुसाराम पुत्र धनाजी, निवासी साजाफली लोटाना, पुलिस थाना सरूपगंज, जिला सिरोही को अपराध अन्तर्गत धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषसिद्ध पाये जाने पर निम्नानुसार दंडित किया जाता हैः-

क्र. स.	अभियुक्त का नाम	अपराध धारा	दण्ड	जुर्माना	अदम अदायगी जुर्माना
01	हुसाराम	309(4) भारतीय न्याय संहिता	03 साल का साधारण कारावास	10,000/- रुपये जुर्माना	6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

- अभियुक्त द्वारा यदि पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में कोई अवधि व्यतीत की गई है तो वह अवधि धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मुजरा की जाएगी।
- अभियुक्त का उपरोक्तानुसार सजा वारंट बनाया जावे।
- उक्त अर्थदंड राशि प्रस्तुत होने पर जमा राजकोष रहे।
- अभियुक्त को निर्णय की प्रति नियमानुसार अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जावे।

23. निर्णय आज दिनांक 16.07.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(मोक्षदा नांदड़)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सुमेरपुर, जिला पाली।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.31 12:05:47 IST